सख्या:-80/2024/आई707656/001-361आ0-23-5002-002-63-2024
(कम्प्यूटर संख्या-1834655)

प्रेषक,

शेषनाथ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0),
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ, उ0प्र0।

लोक निर्माण अनुभाग-5 **लखनऊ : दिनांक : 01 अगस्त, 2024**

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं0-55 के पूंजीलेखा मद के अन्तर्गत जनपद श्रावस्ती व बागपत के 04 कार्यों हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, बजट 'ख' वर्ग, लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र सं0-9591/CE-BLD/PULDHOUS/GON/2024-25, दिनांक 24.07.2024 एवं सं0-9590/CE-BLD/PULDHOUS/MRT/2024-25, दिनांक 24.07.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं0-55 के पूंजीलेखा मद के अन्तर्गत जनपद श्रावस्ती व बागपत के 04 कार्यों हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अवशेष देय धनराशि में से **रू0 209.14 लाख(रू0 दो करोड़ नौ लाख चौदह हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नवत तालिका व शर्त के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	शासनादेश संख्या व दिनांक	कार्य का नाम	योजना वार स्वीकृत धनराशि	अनुबन्ध आधारित बचत की धनराशि	बचत के उपरान्त कार्य की लागत	अब तक आवंटित धनराशि	गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में समर्पित धनराशि	समर्पण के समायोजन के उपरान्त अद्यतन अवशेष (6-7+8)	क्षेत्र से मांग	मुख्यालय द्वारा आवंटन हेतु संस्तुत धनराशि	निर्गत की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						(धनराशि लाख रू0 में)					
1	34/2020/114आ0/23-5-20-5(भवन)/2020, दि0 31.03.2020 **एवं** 46/2020/199आ0/23-5-20-5(भवन)/2020, दि0 03.09.2020 **एवं** 74/2021/173आ0/23-5-21-5(भवन)/2020, दि0 22.07.2021 **एवं** 51/2022/97आ0/001-23-5-22-05(भवन)/2021, दि0 31.08.2022 **एवं** 149/2023/आई367582/001-273आ0-23-5002-002-25-2023-05(भवन)/2020, दिनांक	श्रावस्ती में पूल्ड हाउसिंग हेतु टाइप-1 के 48 आवासों (04 ब्लॉक) का निर्माण कार्य।	433.05	09.55	423.50	280.99	0.00	142.51	121.34	100.00	100.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

	11.08.2023										
2	12/2019/237आ0/23-5-18-03 (भवन)/2018, दिनांक 14.02.2019 एवं 62/2020/218आ0/23-5-20-13 (भवन)/2018टीसी, दिनांक 05.10.2020 एवं 90/2021/198आ0/23-5-21-13 (भवन)/2018टीसी, दिनांक 19.08.2021 एवं 26/2022/92आ0/001-23-5-22-19 (भवन)/2021, दिनांक 22.07.2022 एवं 76/2022/001-157आ0-23-5-22-19(भवन)/2021, दिनांक 31.10.2023 एवं 07/2024/आई479170/001-18आ0-23-5002-003-1-2024, दिनांक 24.01.2024	बागपत में(नवसृजित) पूल्ड हाउसिंग योजना के अन्तर्गत टाइप-2 के 24 आवासों का निर्माण कार्य।	272.32	04.48	267.84	197.91	0.00	69.93	56.54	50.00	50.00
3	84/2018/198आ0/23-5-18-13 (भवन)ईजी/2018, दिनांक 20.12.2018 एवं 51/2023/001-34आ0-23-5-23-13(भवन)/2018, दिनांक 13.03.2023 एवं 07/2024/आई479170/001-18आ0-23-5002-003-1-2024, दिनांक 24.01.2024	बागपत में नवसृजित पूल्ड हाउसिंग योजना के अन्तर्गत टाइप-1 के 24 आवासों का निर्माण कार्य।	172.09	02.37	169.72	152.09	0.00	17.63	09.14	09.14	09.14
4	42/2019/124आ0/23-5-19-13 (भवन)ईजी/2018 टीसी, दिनांक 31.07.2019 एवं 62/2020/218आ0/23-5-20-13 (भवन)/2018टीसी, दिनांक 05.10.2020 एवं 90/2021/198आ0/23-5-21-13 (भवन)/2018टीसी, दिनांक 19.08.2021	बागपत में (नवसृजित) पूल्ड हाउसिंग योजना के अन्तर्गत टाइप-3 के 24 आवासों का निर्माण कार्य।	376.91	07.49	369.42	298.45	0.00	70.97	50.00	50.00	50.00

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

	एवं 26/2022/92आ0/001-23-5-22-19 (भवन)/2021, दिनांक 22.07.2022 एवं 76/2022/001-157आ0-23-5-22-19(भवन)/2021, दिनांक 31.10.2023 एवं 07/2024/आई479 170/001-18आ0-23-5002-003-1-2024, दिनांक 24.01.2024										
								301.04	**237.02**	**209.14**	**209.14**
							योग :-				

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों -

(1) प्रश्नगत चालू कार्य हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यों के सपंरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(3) उपरोक्त परियोजना के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

(4) समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(5) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) विद्युत/यॉत्रिक कार्यों हेतु निर्गत की जाने वाली धनराशि को मुख्यालय, लो0नि0वि0 द्वारा सम्बन्धित विद्युत/यॉत्रिक खण्ड को ही आवंटित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये 2,09,14,000(रूपये दो करोड़ नौ लाख चौदह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-055 लेखाशीर्षक 4216011060303 प्रदेश के विभिन्न जनपदों में पूल आवासों का निर्माण के चालू कार्य मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

..../04..

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
शेषनाथ
विशेष सचिव।

संख्या:-80/2024/आई707656/001-361आ0(1)/23-5-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- नोडल अधिकारी(बजट), लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
4- जिलाधिकारी श्रावस्ती व बागपत।
5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
7- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, श्रावस्ती व बागपत।
9- मुख्य अभियन्ता(भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
10- मुख्य अभियन्ता, गोण्डा क्षेत्र व मेरठ क्षेत्र, लो0नि0वि0।
11- अधीक्षण अभियन्ता, बहराईच वृत्त व मेरठ वृत्त, लो0नि0वि0।
12- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, श्रावस्ती।
13- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागपत।
14- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/लो0नि0अनु0-10/श्रम अनु0-2/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
जूली दुबे
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।